राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम

स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से केन्द्रीय परिवर्तित योजना अन्तर्गत यह कार्यक्रम वर्ष 1976 से चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार नेत्र ऑपरेशन हेतु सामग्री, औजार, उपकरण इत्यादि हेतु बजट राशि एवं स्वयं सेवी संगठनों को मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु अनुदान राशि 60:40 के अनुपात में वहन करती है।

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में अंधता के 2.24 प्रतिशत (1976) को घटा कर वर्ष 2020 तक 0.34 प्रतिशत लाना है। वर्ष 2011 के सूचकांक अनुसार राज्य में अंधता की दर 1% है।

विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1. मोतियाबिन्द ऑपरेशनः–

राज्य के मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों, अनियतकालीन कैम्पों एनजीओ/निजी चिकित्सालय के माध्यम से मोतियाबिन्द ऑपरेशन किये जाते हैं। यह ऑपरेशन सूदूर गाँवों में उनके घर के नजदीक हो सकें, इसके लिये प्रत्येक जिले में एम.आर.एस को कैम्प लगाने की अनुमति दे दी गई है। राज्य में 85 एन.जी.ओ. को निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन करने हेतु अधिकृत किया गया है। निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन करने हेतु राशि रू. 2000/– प्रति ऑपरेशन की दर से अनुदान राशि का पुनर्भरण स्वंय सेवी संस्थान/प्राईवेट नेत्र विशेषज्ञों को दी जाती है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से मोतियाबिन्द ऑपरेशन की अनुदान राशि की दर मे संशोधन कर राशि रू. 1000/– से बढाकर राशि रू. 2000/– प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन करने का प्रावधान किया गया है।

वर्ष	नेत्र ऑपरेशन हेतु लक्ष्य	किये गये मोतियाबिन्द नेत्र ऑपरेशन	लक्ष्य का प्रतिशत	नेत्र शिविरो की संख्या
2013–14	3,00,000	225454	75.15	1869
2014–15	3,00,000	230154	76.71	1568
2015–16	3,00,000	252496	84.17	1730
2016–17	3,00,000	251242	83.75	1914
2017–18 Up to March 18	3,00,000	263028	87.68	1974

2. अन्य नेत्र सम्बन्धी बीमारियाँ –

स्वंय सेवी संस्थाओ द्वारा संचालित प्राईवेट अस्पतालों में आँखों की अन्य मुख्य बीमारियों की चिकित्सा में प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 से भारत सरकार द्वारा दरों में संशोधन कर डायबिटिक रेटिनोपैथी केस राशि रू. 2000/– ग्लूकोमा राशि रू. 2000/– कॉर्नियल ट्रान्सप्लान्टेशन राशि रू. 7500/– विट्रियो रेटिनल सर्जरी राशि रू. 10,000/– तथा चाइल्ड हुड ब्लाइण्डनेस राशि रू. 2000/– देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्वंय सेवी संस्थाओ व प्राईवेट अस्पतालों के माध्यम से उक्त योजना का लाभ जन–सहयोग को देने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आरबीएसके) के साथ टेण्डर व्यवस्थानुसार भी कार्य करवाया जाता है।

- **ट्रेकोमाः**– भारत वर्ष ट्रेकोमा उन्मूलन की ओर अग्रसर है जिसके अन्तर्गत चिन्हित जिले जैसे– बीकानेर, टोंक, धौलपुर, अलवर से विशेष रूप से सूचना मांगी जा रही है।

3. आई बैंक सेवायें:–

सरकारी व निजी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 8 आई बैंक रजिस्टर्ड हैं, सरकारी क्षेत्र में 6 आई बैंकों में से 4 आई बैंक कार्यरत है एवं गैर सरकारी क्षेत्र में 2 आई बैंक कार्यरत है। वर्ष 2016–17 में 1522 नेत्र संग्रहित किये गयें। बैक को प्रति नेत्र जोडे के संग्रहण पर राशि रू0 2000/– की अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत आई बैंक	निजी क्षेत्र में कार्यरत आई बैंक
Indira Gandhi Eye Bank, Ajmer Medical College, Ajmer	Eye Bank Society of Rajasthan, Jaipur
Patal Eye Bank Bikaner Medical College, Bikaner	Global Hospital Institute of Ophthalmology, Sirohi.
SMS Hospital & Medical College Jaipur	
Mathura Das Mathur Hospital, Jodhpur Medical College	

वर्ष	लक्ष्य	कुल नेत्र संग्रहण	प्रतिशत	केरेटोप्लास्टी	केरेटोप्लास्टी प्रतिशत	अन्य गतिविधियॉं
2013–14	2100	1313	62.52	512	38.99	801
2014–15	2100	1367	65.09	558	40.81	809
2015–16	2100	1410	67.14	778	55.18	632
2016–17	2100	1522	72.48	944	62.02	578
2017–18 Up to March.18	2100	1417	67.47	828	58.43	589

* अन्य गतिविधियॉं= Eye Send to Other Bank+Eyes Unfits for use

4. स्कूली बच्चों को चश्मा:–

सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की दृष्टिजांच कर दृष्टिदोषित बच्चों को चश्मों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। स्कूल आई स्क्रीनिंग का कार्य रजिस्टर्ड एनजीओं के माध्यम से जिलों में सम्पादित किया जाता है। जहॉ पर रजिस्टर्ड एनजीओ कार्य नही कर रहे है वहॉ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नेत्र सहायको के माध्यम से कार्य सम्पादित करवाया जाता है।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में वृद्वजनों को नजदीकी चश्मो का वितरण का प्रावधान किया गया है।

वर्ष	जांच किये गये बच्चों की संख्या	रिफ्रेक्टिव एरर	वितरित किये गये चश्मों का विवरण		
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2013–14	279611	18234	33000	14914	45.19
2014–15	246703	25654	33000	14744	44.68
2015–16	355638	38625	33000	35287	106.93
2016–17	200164	18797	34200	15021	43.92
2017–18 Up to March 18	88501	13152	34200	9662	28.25

5. ट्रेनिंग:–

राज्य में ऑफ्थेल्मिक सर्जन्स, पैरा मेडिकल स्टॉफ को नेत्र सम्बन्धी नवाचारों से अवगत कराने हेतु ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा नेत्र विशेषज्ञों को एसआईसीएस/फैको/ईसीसीई/ग्लूकोमा/आई बैकिग एण्ड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन/इनडाईरेक्ट

ऑफ्थेम्लोजी/लो विजन आदि प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष 3 नेत्र चिकित्सकों को फेको व अन्य प्रशिक्षण दिलवाये जा चुके है। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को प्रशिक्षण देने हेतु जो कि रीजनल इंन्सीट्यूट ऑफ ऑफ्थेम्लोजी (RIO) अधिकृत किया गया है। राज्य में नेत्र विशेंषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु आई रिसर्च सेन्टर, जयपुर एवं अलख नयन मंदिर, उदयपुर पूर्व से ही अधिकृत किया गया है।

Year	ECCE/SICS/Phaco	Others	Total
2009-10	0/3/1 = 4	0	4
2010-11	0/4/5 = 9	0	9
2011-12	2/0/5 =7	1	8
2012-13	1/1/2 = 4	1	5
2014-15	0/2/4=6	0	6
2015-16	0/8/6=14	3	17
2016-17	0/3/5=8	2	10
2017-18	0/5/3=8	4	12
Total	**60**	**11**	**71**
Grand Total			**71**

6. प्रचार–प्रसार कार्यक्रमः–

राज्य में नेत्रदान का प्रोत्साहन करने एवं नेत्रों के प्रति सजगता के लिये प्रचार–प्रसार का कार्यक्रम IEC Cell द्वारा टीवी, समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, पम्पलेट आदि के माध्यम से किया जाता है।

- प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के द्वितीय गुरूवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है।
- ग्लूकोमा सप्ताह प्रति वर्ष के मार्च के द्वितीय सप्ताह में मनाया जाता है।
- नेत्रदान पखवाड़ा प्रति वर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक मनाया जाता है।

इसके अतिरिक्त जिला अस्पतालों पर नेत्र दान संबंधी फ्लेक्स सीट (होर्डिंग के लिए) भिजवाई गई है। सभी मेडीकल कॉलेजों में प्रर्दशनी भी आयोजित की गई थी।

7. वित्तीय स्थितिः–

(राशि लाखो में)

वित्तिय वर्ष	पीआईपी आवंटन राशि	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि	प्रतिशत
2013–14	1346.00	448.93	672.94	50.00
2014–15	1500.00	1145.00+381.66 (केन्द्रांश) (राज्याअंश) = 1526.66	967.00	64.47
2015–16	900.00	1004.00+610.00 (पूर्व शेष) (राज्याअंश+केन्द्रांश)= 1614.00	1341.29	149.03
2016–17	1708.13	560.65+ 680.15+ 997.70 (पूर्व शेष) (राज्याअंश) (केन्द्रांश)= 2238.50	1151.59	67.41
2017–18 (Up to March. 18) Provisional	1801.53	1558.00	1251.90	69.49

नोटः– व्यय प्रतिशत की गणना भारत सरकार से स्वीकृत पीआईपी आवंटन राशि से की गई है।